न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 08/2024 (बांसवाड़ा डिकी)

हरजी पिता दितीया (मृतक) के विधिक वारिस शम्भूलाल पिता हरजी, जाति भील, निवासी बिलीया डूंगरी, पटवार हल्का गामड़ी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. नाथू पिता सिंधु, जाति भील, निवासी बिलीया डूंगरी, पटवार हल्का गामड़ी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. खातु पिता सिंधु, जाति भील, निवासी बिलीया डूंगरी, पटवार हल्का गामड़ी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. बापु पिता सिंधु, जाति भील, निवासी बिलीया डूंगरी, पटवार हल्का गामड़ी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. जीवणा पिता सिंधु, जाति भील, निवासी बिलीया डूंगरी, पटवार हल्का गामड़ी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. मलिया पिता सिंधु, जाति भील, निवासी बिलीया डूंगरी, पटवार हल्का गामड़ी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. नरू पिता सिंधु, जाति भील, निवासी बिलीया डूंगरी, पटवार हल्का गामड़ी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. मन्दूर पिता सिंधु, जाति भील, निवासी बिलीया डूंगरी, पटवार हल्का गामड़ी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान काश्त. अधि. –1955 विरूद्ध निर्णय व डिकी उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा दि. 24.06.2024 प्रकरण संख्या 96/2009

———::———

<u>उपस्थित</u> :– 1– श्री मुकेश द्विवेदी अभिभाषक अपीलान्ट

———::———

निर्णय **दिन[illegible]–2025**

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:16 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ [illegible] अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अधिनियम का प्रस्तुत किया, किन्तु दौराने दावा वादी की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान के कायम मुकाम का आवेदन समयावधि में प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं उक्त प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने तथा मयाद कण्डोन हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर वादी का वाद मयाद अधिनियम की धारा 120 के तहत खारिज कर दिया।

2. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय/आदेश दिनांक 24–06–2024 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23–08–2024 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु रेस्पोडेन्ट अथवा उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से अधिवक्ता अपीलान्ट श्री मुकेश द्विवेदी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

4. विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट के पिता हरजी की दिनांक 01–12–2022 को मृत्यु हो गयी, जिसकी मृत्यु होने पर नाम कायमी का प्रार्थना पत्र अपीलान्ट द्वारा दिनांक 19–12–2022 को प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसका हवाला प्रार्थना पत्र में दर्ज है तथा दिनांक 19–12–2022 को पीठासीन अधिकारी राज कार्य में व्यस्त थे, जिससे आगामी पेशी दिनांक 23–01–2023 नियम की गयी, जिसका अंकन भी प्रार्थना पत्र दिनांक 19–12–2022 में किया गया है, किन्तु दिनांक 23–01–2023 को भी पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से पेशी दिनांक 01–03–2023 नियत की गयी, किन्तु इस दिनांक को भी पीठासीन अधिकारी अनुपस्थित रहने से दिनांक 10–04–2023 की पेशी नियत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नियत अवधि का बिना अवलोकन किये प्रार्थना पत्र मयाद में प्रस्तुत नहीं होना मानकर वाद खारिज करने में भारी भूल की है। अतः अपील [illegible] की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय [illegible] अपीलान्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:16 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

शम्भूलाल पिता हरजी को रेकार्ड पर लिया जाकर मूलवाद के निर्णय हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

5. हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। वादी हीरजी की मृत्यु दिनांक 01–12–2022 को होना मृत्यु प्रमाण पत्र से स्पष्ट है, जिसकी मृत्यु का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा.दी. दिनांक 19–12–2022 को प्रस्तुत किया जाना के प्रार्थना पत्र में अंकित है, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 10–04–2023 को मार्क किया गया है, जबकि आगामी तारीख पेशी दिनांक 23–01–2023 नियत थी। प्रार्थना पत्र में अंकित दिनांक अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र 19 दिवस में प्रस्तुत कर दिया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मार्क 5 माह बाद किया गया है। ऐसी स्थिति में मयाद के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर वाद को धारा 120 के तहत खारिज किया जाना विधि सम्मत नहीं है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

6. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–06–2024 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में वादी ही के वारिस शम्भूलाल को पक्षकार संस्थित कर तथा पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23–12–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 11–11–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

11.11.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:16 IST
Reason: SelfAttested